भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 163

(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया गया)

<u>सड़क पर रहने वाले और नि:शक्त बच्चों के पुनर्वास हेतु सीएसआर निधियां</u>

163. श्री मोह. नदीमुल हक :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियां सड़क पर रहने वाले और नि:शक्त बच्चों के पुनर्वास जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उपर्युक्त कार्यों पर सीएसआर निधियां व्यय करने वाली कंपनियों के नाम क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों में इन कंपनियों द्वारा उपर्युक्त कार्यों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): कंपनियों के सीएसआर व्यय का संकलन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध किए अनुसार वृहद विकास क्षेत्र-वार किया जाता है, योजना-वार नहीं। सड़क पर रहने वाले और नि:शक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न विकास शीर्षों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल कल्याण आदि के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। वर्ष 2014-15 (जो इस कानून के तहत कंपनियों द्वारा सीएसआर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है) के लिए 460 सूचीबद्ध कंपनियों के विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का एक नूमना अनुलग्नक पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (वित्त वर्ष 2014-15)

क्रम संख्या	अनुसूची-VII में विषय	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	भूखमरी, गरीबी निवारण और स्वास्थ्य देखभाल	1421.66
2.	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल/जिविका सुधार	1462.60
3.	महिला/वृद्ध/बच्चे	219.27
4.	पर्यावरण सुस्थायित्व	1188.69
5.	कला एवं संस्कृति	539.83
6.	खेल विकास	454.91
7.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	125.32
8.	ग्रामीण विकास	724.32
9.	स्लम विकास	114.14
10.	स्वच्छ भारत कोष	42.64
11.	निर्मल गंगा कोष	15.49
12.	अन्य	28.5
	कुल योग	**6337.36**